**महत्वपूर्ण**

**संख्या-50/2018/3829/60-2-18-2/1(24)/17टीसी**

प्रेषक,

**मोनिका एस0 गर्ग,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**2. निदेशक,**
राज्य पोषण मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2018

**विषयः आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी आंगनबाडी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या-11-36/2016/सी0डी0-1, दिनांक 20.09.2018 तथा पत्र संख्या-पी0ए0/29/2018-सी0पी0एम0यू0, दिनांक 27.09.2018, जिसके द्वारा निर्धारित मानक एवं अर्हता के अनुसार पोषण अभियान के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0-सी0ए0एस0 के क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रु0 500/- प्रतिमाह तथा सहायिकाओं को रु0 250/- प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त मासिक परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं :-

(i) आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ICDS-CAS) के सतत् उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि सेवाओं की बेहतर निगरानी एवं प्रबन्धन हो सके।

(ii) 1000 दिन की लक्षित अवधि के दौरान सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से देय होगा जिसके लिए निर्धारित मानक एवं अर्हता निम्नवत् है :-

**आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री-**

**मानक-**

- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री (कार्यकर्त्री) द्वारा आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत 02 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों के सापेक्ष माह में कम से कम 60% बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग (आयु के सापेक्ष वजन) सुनिश्चित करना।
- कार्यकर्त्री द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा 02 वर्ष तक की आयु के बच्चों के निर्धारित गृह भ्रमण लक्ष्य के सापेक्ष माह में कम से कम 60% गृह भ्रमण सुनिश्चित करना।

उपरोक्त दोनों मानकों की प्राप्ति पर कार्यकर्त्री को रु0 500/- प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, जिसका आंकलन आई0सी0डी0एस0-सी0ए0एस0 (ICDS-Common Application Software) डैशबोर्ड पर ऑटो-जनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

**अर्हता-**

- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने ICDS-CAS प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने CAS एप्लीकेशन पर समस्त लाभार्थियों की सूचना फीड की हो।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा ICDS-CAS एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कम से कम एक माह की रिपोर्टिंग की गयी हो।

**आंगनबाड़ी सहायिका-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**मानक-**

- माह में कम से कम 21 दिन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना/संचालन।

उपर्युक्त मानक का आंकलन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित बच्चों सहित आंगनबाड़ी केन्द्र का फोटोग्राफ ICDS-CAS एप्लीकेशन पर अपलोड किये जाने के आधार पर किया जायेगा।

**4- मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया-**

- माह के अन्त में कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं जिन्होंने प्रोत्साहन राशि के मापदण्ड पूर्ण किये हों, की सूची ICDS-CAS डैशबोर्ड पर स्वतः प्रतिलक्षित (Auto Generate) होगी। यह जानकारी ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।
- प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में उपरोक्त जानकारी आई0सी0डी0एस0-सी0ए0एस0 डैशबोर्ड पर ऑटोजनरेट होकर मुख्य सेविका व बाल विकास परियेजना अधिकारी को उपलब्ध होगी।
- मुख्य सेविका/बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रोत्साहन राशि हेतु सूचीबद्ध कार्यकर्त्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सूचना हस्ताक्षरित करते हुए निदेशक, राज्य पोषण मिशन/पोषण अभियान तथा निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित करेंगे।
- उपर्युक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यथासम्भव अगले माह की 15 तारीख तक किया जायेगा।

5- उपर्युक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिये जाने वाले परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव की धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20- के+रा)" के मानक मद-42-अन्य व्यय से किया जायेगा।

6- उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिये जाने वाले परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव की धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0102- समन्वित बाल विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)" के मानक मद-07-मानदेय से किया जायेगा।

भवदीया,

**(मोनिका एस0 गर्ग)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 50/2018/3829(1)/60-2-2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(गया प्रसाद)**
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in